28/5/19 आज पत्रावली पेश हुई। व कुलाल उपस्थित आये। वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बरान से कम हो बाद तकमील ~~संलग्न~~ मूल दावा से ~~मा~~ जिला लेखागार हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 50/18
तारीख दायरा : 27.02.2018

उनवान

1. मुहुरू खॉ पुत्र श्री नवल खॉ जाति मेव निवासी नागल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.......वादी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

....असल प्रतिवादी।

2.आशमोहम्मद ।
3.फारूख पुत्रान श्री जोहरू।
4.जमील खॉ।
5.अब्दुल मजीद।
6.हमीद खॉ।
7.मोहम्मद रफीक पुत्रान ईदू।
8.उमरदीन खॉ पुत्र श्री नवलखॉ जाति मेव निवासी नांगल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

तरतीवी प्रतिवादीगण।
(दावा इस्तकराहक व इन्द्राज दुरूष्ती.)

उपस्थिति :- श्री रणवीरसिंह यादव,अधिवक्ता ....वादी की ओर से।
प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

न्यायालय द्वारा :-

:: निर्णय :: दिनांक: 28.5.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुंसगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि आराजी मुतनाजा हाल ख.न.192 रकबा 0.42 है0 96 रकबा 0.38 है0, 189 रकबा 0.23 है0, 289 रकबा 0.12 है0 ,300 रकबा 0.40 है0, 301 रकबा 0.15 है0, 314 रकबा 0.23 है0, 332 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.06 है0, 344 रकबा 0.11 है0, 346 रकबा 0.12 है0, 348 रकबा 0.29 है0, 379 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा में स्थित है जो विवादित आराजी है। उक्त आराजी वादी को विरासत में अपने मृतक पिता नवलखॉ से प्राप्त हुई है। विरासत इतंकाल सख्या 78 में वादी का नाम मुहुरू सही दर्ज हुआ था परन्तु उसके बाद की जमाबन्दीयात में वादी का नाम कहीं मुहरू तो कहीं मोहर खॉ कहीं महबूब खॉ दर्ज किया गया जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी के हिस्से व कब्जे में कोई विवाद नहीं है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुहुरू खॉं के स्थान पर मोहम्मद खॉं ,महबूब खॉं, महरू खॉं आदि नाम दर्ज कर दिये है जिससे वादी अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। उक्त आराजी में वादी का नाम अनावश्यक रूप से गैर कानूनी तरीके से राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही या भूलवश गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम राशन कार्ड ,पहचान पत्र वोटर लिस्ट आदि में मुहुरू खॉं दर्ज है। दिनांक 22.02.2016 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त गलत नाम की जानकारी हुई है। अतः वादी का वास्तविक नाम मुहुरू खॉं दर्ज किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न.1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण न. 2 ला.8 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया।

हमने योग्य अधिवक्ता वादी को सुना तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपने पिता मृतक नवल खॉं की विरासत का इतंकाल सख्या 78 पेश किया गया है जिसके अनुसार मृतक नवलखॉं पुत्र चांदखॉं बहक ईदू,जुहरू, मुहुरू व उमरखॅा पि.नवलखॅा के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 903707826584 पेश किया गया है जिसमें वादी का नाम मुहुरू खॅा पुत्र नवल खॅा दर्ज है। ग्राम पंचायत रसगण पंचायत समिति मुण्डावर द्वारा दिनांक 15.02.2018 को यह प्रमाणित किया है कि मुहुरू खॅा पुत्र नवलखॅा जाति मेव निवासी ग्राम नांगल सन्तोकडा का निवासी है तथा इनका सही नाम मुहुरूखॅा है। जमाबन्दी स.2024-27 में भी वादी का नाम मुहुरू दर्ज है तथा जमाबन्दी स. 2028-31 में भी वादी का नाम मुहुरू दर्ज है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह पी0 ड0 2 व 3 ने भी अपने शपथ पत्र में वादी का नाम मुहुरू खॉं होना स्वीकार किया है। जबकि इसके बाद की जमाबन्दी सं. 2069-72 में वादी का नाम मोहम्मद खॉं दर्ज है।

इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी का वास्तविक नाम मुहुरू खॉं है। हाल जमाबन्दी सं. 2069-72 में वादी का नाम मोहम्मदखॉं दर्ज है जो एक सहंवन से हुई लिपिकीय त्रुटि है जिससे वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब में भी वादी का वास्तविक नाम मुहुरू खॉं होने की ताईद की गई। अतः वादी के नाम में लिपिकीय त्रुटि को सुधार कर वादी का वास्तविक नाम मुहुरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी डिक्री योग्य है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

3.मुहुरू खॉं बनाम सरकार व अन्य
राजस्व प्रकरण सख्या 50/18

आदेश

वादी का दावा बाबत आराजी ख.न. 192 रकबा 0.42 है0 96 रकबा 0.38 है0, 189 रकबा 0.23 है0, 289 रकबा 0.12 है0 ,300 रकबा 0.40 है0, 301 रकबा 0.15 है0, 314 रकबा 0.23 है0, 332 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.06 है0, 344 रकबा 0.11 है0, 346 रकबा 0.12 है0, 348 रकबा 0.29 है0, 379 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा डिक्री किया जाता है तथा उक्त आराजी में वादी का दर्ज नाम मोहम्मदखॉं आदि के स्थान पर मुहुरू खॉं दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार डांगुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निणर्य आज दिनांक 28.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डांगुर)
28.5.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 50/18
तारीख दायरा : 27.02.2018

उनवान

1.मुहरू खॉं पुत्र श्री नवल खॉं जाति मेव निवासी नागल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.......वादी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

....असल प्रतिवादी।

2.आशमोहम्मद।
3.फारूख पुत्रान श्री जोहरू।
4.जमील खॉं।
5.अब्दुल मजीद।
6.हमीद खॉं।
7.मोहम्मद रफीक पुत्रान ईदू।
8.उमरदीन खॉं पुत्र श्री नव लखॉं जाति मेव निवासी नांगल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

तरतीवी प्रतिवादीगण।
(दावा इस्तकराहक व इन्द्राज दुरूष्ती)

पर्चा डिक्री दिनांक 28.5.2019

वादी का दावा बाबत आराजी ख.न. 192 रकबा 0.42 है0 96 रकबा 0.38 है0, 189 रकबा 0.23 है0, 289 रकबा 0.12 है0 ,300 रकबा 0.40 है0, 301 रकबा 0.15 है0, 314 रकबा 0.23 है0, 332 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.06 है0, 344 रकबा 0.11 है0, 346 रकबा 0.12 है0, 348 रकबा 0.29 है0, 379 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा डिक्री किया जाता है तथा उक्त आराजी में वादी का दर्ज नाम मोहम्मदखॉं आदि के स्थान पर मुहरू खॉं दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner